



2026:AHC:125095

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19185 वर्ष 2026

कादिरआवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यविपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : संदीप कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दायर वकालतनामा को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 87/2026 में धारा 137(2), 65(1) बी.एन.एस., धारा 5L/6 पोक्सो (बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण) अधिनियम और धारा 3(2)वी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। मामला पुलिस स्टेशन-सैदनागली, जिला-जे.पी.नगर (अमरोहा) में दर्ज है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने प्रथम शिकायतकर्ता (पीड़िता) की बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है, हालांकि, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह स्वयं अपना घर छोड़कर आवेदक के साथ रहने लगी थी क्योंकि वह पिछले डेढ़ साल से आवेदक के साथ संबंध में थी और आवेदक ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटना की तारीख को पीड़िता की हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार उसकी उम्र 16 वर्ष और 2 महीने थी, हालांकि अस्थि-निर्माण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र '17-18' वर्ष बताई गई है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक ने एक मामले के आपराधिक इतिहास के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 31.03.2026 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. *इसके विपरीत*, विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **कादिर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में हो**, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (सीआरएल) संख्या **4/2021** का

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णय 31.01.2023 को लिया गया था और (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय 29.05.2026 को लिया गया था।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

3 जून, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।